वादी अनुपस्थित, उसकी ओर से कोई अधिवक्ता भी उपस्थित नहीं।

प्रतिवादी क्रमांक 01 लगायत 07 द्वारा श्री संजय गुर्जर अधिवक्ता।

वादी द्वारा तलवाना अदा न किये जाने के कारण प्रतिवादी कमांक 08 के विरूद्ध वाद दिनांक : 10/01/2017 को निरस्त किया जा चुका है।

प्रकरण आज वादी साक्ष्य हेत् नियत है।

बार—बार पुकार लगवाये जाने पर वादी या उसकी ओर से कोई अधिवक्ता न्यायालय कक्ष में उपस्थित नहीं हुआ।

वादी को साक्ष्य प्रस्तुति हेतु दिनांक : 21/03/2017, 01/04/2017, 20/04/2017, 04/05/2017 एवं आज दिनांक : 22/06/2017 को पाँच अवसर प्रदान किये जाने के बाद भी वादी की ओर से मुख्य परीक्षण शपथ—पत्र या अन्य साक्ष्य आज दिनांक तक प्रस्तुत नहीं की गई।

वादी द्वारा साक्ष्य प्रस्तुति का अभाव एवं उसकी अकारण अनुपस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए वादी का वाद आदेश 17 नियम 03 सीपीसी के प्रावधान के अन्तर्गत निरस्त किया जाता है।

व्यय तालिका बनाई जाये।

प्रकरण का परिणाम संबंधित पंजी में दर्ज कर अभिलेख व्यवस्थित कर नियत समयावधि में अभिलेखागार प्रेषित किया जाये।

।।।, सी.जे.।।, गोहद